

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 188/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मार्सेल खलखो

- विक्रेता

बिमल भेंगरा

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

13.10.18

आदेश

आवेदक मार्सेल खलखो पिता स्व0 अगस्तुस खलखो ग्राम-कपरिया, पोस्ट-गुटजोरा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने बिमल भेंगरा पिता थॉमस भेंगरा ग्राम-खूँटी टोली, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
हुटार	238	21	540	0.15

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0040646169 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 874 दिनांक 12.10.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम पहना उरॉव वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार वरनावास उरॉव वगैरह के नाम भूमि का रकवा 25.88 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 4.32 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 18-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 5695.00(पाँच हजार छः सौ पंचानब्बे रूपये मात्र)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.07 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रय एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मार्सेल खलखो पिता स्व0 अगस्तुस खलखो को बिमल भेंगरा पिता थॉमस भेंगरा के साथ ग्राम हुटार के खाता सं0 21 खेसरा संख्या 540 का रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 5695.00(पाँच हजार छः सौ पंचानब्बे रूपये मात्र)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।